राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार

प्रवास प्रतिवेदन

-:: TOUR - REPORTDATED 21/04/2017 TO 23/04/2017 ::-

{DISTRICT CHHINDWARA}जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा दिनाँक 21 अप्रैल 2017 से 23अप्रैल 2017 तक जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश का प्रवास किया गया। आयोग मुख्यालय से बेतार संदेश संख्या TP/VC/NCST/2017/09 दिनाँक19/04/2017द्वारा मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को तथा आयोग के मध्यप्रदेश स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :-

दिनाँक21/04/2017

1) दिल्ली से वायुमार्ग से प्रस्थान कर नागपुर से छिन्दवाडा के लिये सडक मार्ग से प्रस्थान कर छिन्दवाडा आगमन।
2) दिल्ली एयरपोर्ट पर समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि छिन्दवाड़ा जिले की हर्रई तहसील के ग्राम बारगी में सहकारी समिति के गोदाम सह वितरण खाद्यान्न वितरण केन्द्र में भीषण अग्नीकांड हो गया है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लगभग 13 व्यक्तियों की झुलसने से मौत हो गई है एवं कुछ लोग घायल भी हो गये ।
3) समाचार की पुष्टि के लिये मैंने अपने सहयोगियों को जानकारी प्राप्त कर सूचित करने के लिये निर्देशित किया गया। कुछ समय उपरांत घटना की पुष्टि होने पर मेरे द्वारा कलेक्टर छिन्दवाड़ा से चर्चा कर सभी आवश्यक राहत शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
4) दिल्ली से नागपुर एवं छिन्दवाड़ा पहुँचने तक घटना की भयावहता और ग्रंभीरता के समाचार प्राप्त हुए। यह भी ज्ञात हुआ कि इस घटना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्ति ही हताहत हुए हैं । कुछ पिछडे वर्ग के लोग भी थे ।
5) गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा स्वंय संज्ञान लेते हुए अपने निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन कर प्रातः घटना स्थल ग्राम बारगी तहसील हर्रई जाने तथा पीड़ितों से मुलाकात कर सॉंत्वना देने तथा घटना की परिस्थितियों का आँकलन करने का निर्णय लिया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

दिनाँक22/04/2017

6) प्रातः 9 बजे छिन्दवाडा से प्रथान कर घटना के पीडितों परिवार के घर ग्राम बिछुआ, मोआरसानी पहुँचकर पीडित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें साँत्वना दी गई और उनके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा घटना के संबंध में भी वस्तुस्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

7) ग्राम बिछुआ के एक ही परिवार केपाँच व्यक्तियों की हृदय विदारक मौत हुई है। जिसमें 1–**श्रीमती कमला पति श्री काशीराम डेहरिया, 2–श्री कोमल पिता श्री नित्तू डेहरिया, 3–श्री कृपाल पिता श्री नित्तू डेहरिया, 4–श्री संतकुमार पिता श्री विनोद डेहरिया, 5–श्रीमती लखनिया श्री खुम्मा डेहरिया** शामिल हैं। इन मृतकों में से स्वर्गीय श्री संतकुमार डेहरिया की युवा पत्नी एवं क्रमश 4 एवं 5 वर्ष के पुत्र लोकश 4 वर्ष एवं मंजीत 5 वर्ष का है जिनकी स्कूल शिक्षा प्रारंभ होना शेष है।

8)

9) ग्राम राबवराकला का 1–श्री संदीप पिता नारायण डेहरिया एवं हर्रई का 1– श्री राकेश पिता श्री धूपेलाल कहार, एक एक परिवार के सदस्य की भी इस हादसे में मौत हुई है। उनके आवास पर भी पहुँचकर उनके परिवार को साँवना देकर घटना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

10) 1–श्री गणेशा पिता श्री समन मरावी2– श्रीमती सियाबाई पति श्री समल मरावी, 3–श्रीमती प्रेमवती पति श्री शिवपाल उइके 4–श्री अरविन्द पिता श्री सिपत उइके मुआरसानी के मृतकों के परिवारों से मिलकर उनके हाल चाल, पारिवारिक स्थिति का जायजा लिया गया और परिवारजनों को साँत्वना दी गई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

11)

12) ग्राम बारगी के मृतक 1–श्री संजय पिता श्री सुरेश मालवी, 2– श्री रामसेवक पिता श्री घनश्याम नवरेती के परिवारों से मिलकर उनके हाल चाल, पारिवारिक स्थिति का जायजा लिया गया और परिवारजनों को साँत्वना दी गई।

13) ग्राम बारगी स्थिति सहकारी समिति बारगी के अग्निकांड में स्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि यह भवन समिति का नहीं था, ग्राम पंचायत के स्वामित्व के अन्य उपयोग के भवन को वितरण केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस भवन में दो छोटे–छोटे दरवाजे लगे थे। एक दरवाजे पर तथा कक्ष में अनाज भरा हुआ था तथा दूसरे दरवाजे पर वितरक द्वारा अनाज एवं घासलेट का वितरण किया जा रहा था अर्थात एक दरवाजा स्थाई रूप से बंद तथा दूसरे पर घासलेट का वितरण किया जा रहा था।

14)

15) प्रत्यक्षदर्शियों ने अवगत कराया कि वितरण के समय टंकी में से घासलेट रिस रहा था, तथा उस स्थान पर बारदाने के बोरे डालकर उसे सुखाया जा रहा था, मृतक राशन प्राप्त करने आए थे और उस कक्ष में मौजूद थे जबकि उसमें अंदर स्थान नहीं था और दरवाजे पर घासलेट का वितरण किया जा रहा था।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

16) यह भी ज्ञात हुआ कि सेल्समेन तथा अन्य व्यक्ति उस स्थान पर धूम्रपान कर रहे थे जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

17) ग्राम में उस वक्त बिद्युत प्रवाह बंद था जबकि पास में ही कुआँ स्थित था उसमें मोटरपंप लगा हुआ था और पानी भी उपलब्ध था, यदि समय पर विद्युत प्रारंभ रहती तो आग पर काबू पाया जा सकता था।

18) घासलेट का भंडारण एवं वितरण खुले स्थान पर होना चाहिए, जबकि ऐसा न होकर बंद कक्ष में वह भी जिस पर पर मुख्यद्वार था वहाँ वितरण किया जा रहा था और दूसरा दरवाजे को अनाज की बोरियों से बंद कर दिया गया था।

19) वितरण स्थल पर अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं था जबकि ज्वलनशील पदार्थो का वितरण किया जा रहा था, यह घोर लापरवाही प्रतीत होती है।

20) प्रत्यक्षदर्शियों न यह भी बताया कि राहत दलों का समय पर नहीं पहुँचने की वजह से भी उक्त घटना इतनी भयानक हुई है।

21) ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भी घासलेट भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था की ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

22) मुख्य द्वार पर आग लगना और दूसरे द्वार स्थाई रूप से बंद होने, खिडकियों पर लोहे की ग्रिल लगी होने की वजह से अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सके और केवल अपने बचाव में चीख पुकार करते करते काल के गाल में समा गये और आग तत्काल तेज हो जाने के कारण बाहर से व्यक्ति केवल लोगों को बचाने का प्रयास कर पाए।

23) मध्यप्रदेश शासन, जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य प्रारंभ किया गया और मुआवजा राशि की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा घटना के उपरांत सभी राशन एवं घासलेट विरतरण केन्द्रों पर अग्निशमन यंत्र लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

24)

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

25) दूसरे दिन ज्ञात हुआ कि क्षतिग्रस्त भवन को ढहा दिया गया है, जबकि इसकी जाँच नहीं हुई है, ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ, क्या यह सबूत मिटाने की साजिश है, इसकी जाँच आवश्यक है।

घटना के संबंध में प्रमुख तथ्य एवं अनुशंसाएँ

A. घटना में मृतकों में से स्वर्गीय श्री संतकुमार डेहरिया की युवा पत्नी को रोजगार एवं क्रमश 4 एवं 5 वर्ष के पुत्र लोकश 4 वर्ष एवं मंजीत 5 वर्ष स्कूल शिक्षा की समुचित व्यवस्था राज्य शासन स्तर से की जावे।

B. अन्य परिवार के सदस्यों की भी स्थिति का आँकलन कर शासन स्तर से समुचित जीवन यापन के लिये शासकीय सेवा या अन्य व्यवस्थाएँ की जावे।

C. सभी भंडारण एवं वितरण केन्द्रों पर अग्निशमन यंत्र लगाए जावें एवं धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित कर बोर्ड लगाया जावे तथा समिति प्रबंधक, वितरण आदि द्वारा इसका कडाई से पालन कराया जावे।

D. घासलेट का भंडारण एवं वितरण का कार्य खुले स्थान पर किया जावे।

E. भंडारण एवं वितरण केन्द्रों के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जावें और उन्हें केन्द्र पर प्रदर्शित किया जावे।

F. घासलेट वितरण का कार्य माह में दो तीन दिन किया जाता है, जबकि माह में 7 से 8 बार वितरण निर्धारित समय पर किया जावे ताकि भीड एकत्रित न हो सके।

G. विभागीय अधिकारियों को सतत निरीक्षण आवश्यक है ताकि वितरण में होने वाली कमियों को सुधारा जा सके।

H. इस घटना में भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही प्रदर्शित होती है, जाँच अपेक्षित है ताकि लापरवाही सामने आ सके और इसका भविष्य में सुधार किया जा सके।

I. सुरक्षा मापदण्डों का कड़ाई से पालन कराया जावे, जो कि नहीं किया जाता है।

J. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के समय बिद्युत प्रवाह बंद था और बार बार घटना की सूचना देकर विद्युत प्रवाह चालू करने के लिये कहा गया किन्तु विद्युत प्रारंभ नहीं की गई, ऐसी गैर संवेदनशीलता की जाँच कर दोषी को दंड एवं आवश्यक कार्यवाही की जाना आवश्यक है।

K. क्षतिग्रस्त भवन बिना जाँच के ढहा दिया गया है, अब सबूत किस प्रकार मिलेगें, यह विचारणीय प्रश्न है, इसकी जाँच की जावे।

दिनाँक22/04/2017

26) बारगी अग्निकाण्ड की घटना के कारण आयोजकों द्वारा अनुसूचित जनजाति कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केलोकार्पण के निर्धारित कार्यक्रम के समय में परिवर्तन कर संध्या 4 बजे कर समारोह को सादा समारोह में परिवर्तित कर दिया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उप सभापति Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

27) इस अवसर पर श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह विधायक छिन्दवाडा, श्री दौलत सिंह ठाकुर वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री धर्मेन्द्र मिगलानी एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

28) भवन के लोकार्पण के अवसर पर बडी संख्या में छात्राएँ उपस्थित थीं, उन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई और मार्गदर्शित किया गया कि जीवन में सफलता पाने के लिये लक्ष्य को साधकर जीवन में आगे बढना चाहिए ताकि आप सफल हो सकें और अच्छे नागरिक बने। इस कार्यक्रम में बारगी अग्निकांड के पीडितों को श्रद्धाँजली भी अर्पित की गई।

29)

30)

31) स्टेप फारवर्ड स्कूल जुन्नारदेव के वार्षिक कार्यक्रम में भाग लिया गया, पालकों छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अपने उदबोधन के माध्यम से संक्षिप्त में मार्गदर्शित किया गया। यह क्षेत्र

Anusuiya

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उप सभापति Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है इसलिये आयोग की गतिविधियों, कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया।कार्यक्रम उपरांत जुन्नारदेव से छिन्दवाडाप्रस्थान तथा रात्रि विश्राम।

32)

दिनाँक23/04/2017

33) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार छिन्दवाडा से प्रस्थान कर आदिवासी सामुदायिक भवन बिरसा मुंडा नगर वार्ड 13 सौंसर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत आयोजित सामुहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।

34) मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी वर्गो के लिये संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अनूठी योजना है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष शासन द्वारा सामुहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिसमें सभी वर्गो यथा हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, आदिवासियों के लोगों को समान रूप से शामिल किया जाता है। प्रशासन द्वारा विवाह की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाती है, यथा बारात, पुरोहित, पूजन, वेदी, भोजन, पंडाल का इंतजाम कर विवाह आयोहित किया जाता है। शासन स्तर से सभी पात्र जोडों को वस्त्र, जेवर, बर्तन, एवं नकद राशि भी उपहार स्वरूप प्रदान की जाती है, जिसका लाभ बड़े स्तर पर गरीब-अमीर व्यक्तियों द्वारा उठाया जा रहा है।

35)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उप सभापति/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

36) इस अवसर पर स्थानीय विधायक, श्री नाना भाउ मोहोड, जनप्रतिनिधि श्री राजू परमार जी, श्री संतोष जैन, आदिवासी समाज के पदाधिकारी श्री मोरेश्वर मर्सकोले, अध्यक्ष रानी दुर्गावती आदिवासी उत्थान एवं विकास समिति सौंसर, शासकीय अधिकारी कर्मचारी, वर वधुओं के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

37) इस आयोजन में कुल 65 जोडों का सामूहिक विवाह किया गया जिसमें 6 का बौद्ध रीति रिवाज से तथा शेष का गोंडी रीति रिवाह एवं मराठी रीति रिवाजों से विवाह सम्पन्न हुआ।

38)

39) इस अवसर पर आशीश वचन के रूप में मैंने नव विवाहितों को सुखी जीवन के लिये आशीर्वाद तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने, शिक्षित होन, तथा आयोग के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

<u>प्रवास में प्राप्त प्रमुख तथ्य एवं उन पर की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा</u>

1. बारगी अग्निकांण्ड के संबंध में उपर वर्णित तथ्यों पर आवश्यक कार्यवाही संबंधित सरकार/संस्था से कराया जाना आवश्यक है।
2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक अनूठी योजना है इसे सम्पूर्ण देश में लागू किया जा सकता है, इस पर आयोग विचार कर अनुशंसा करें।

सुश्री अनुसुईया उइके

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi